कार्यालय–मुख्य अग्निशमन अधिकारी सीतापुर।

पत्र संख्या–एफएस/अ0सु0व्य0/निरी0/सुरक्षा निर्देश–91/2018 दिनांकः अगस्त 18 ,2018

सेवा में,

प्रवन्धक/प्रधानाध्यापक,
सेंट जेवियर्स स्कूल,
खम्बापुरवा, बिसवॉ
जनपद–सीतापुर।

विषयः–सेंट जेवियर्स स्कूल, भवन की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।

कृपया आपके पत्रांक–निल दिनांकः 08.08.2018 के कम में सेंट जेवियर्स स्कूल, खम्बापुरवा, बिसवॉ जनपद–सीतापुर भवन का अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से निरोक्षण किया गया तो प्रश्नगत शैक्षिक भवन भूतल व प्रथम तल निर्मित है, शैक्षिक भवन में निम्न अग्निशमन व्यवस्थायें कार्यशील दशा में उपलब्ध पायी गयी।

अग्निशमन व्यवस्था–

1.ए0बी0सी0(स्टोर्ड प्रेशर टाइप)फायर एक्सटिंग्युशर क्षमता 04 के0जी0..........................07 अदद।
2.प्रश्नगत विद्यालय तक फायर सर्विस वाहन सुगमता पूर्वक पहुँच कर अग्निशमन कार्य कर सकते हैं।
3.विद्यालय में कार्यरत स्टाफ/अध्यापक/छात्रों को अग्नि सुरक्षा से बचाव व उपकरणों के संचालन के सम्बन्ध में जानकारी/प्रशिक्षण दिया गया।

प्रवन्धक/प्रधानाध्यपक को निम्नलिखित निर्देशों का समय–समय पर अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

1.भवन स्वामी/प्रवन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन की छत पर 5000 लीटर क्षमता के टेरिस टैंक से 450 एल0पी0एम0 क्षमता के टेरिस फायर पम्प का संयोजन करते हुए उससे संलग्न 100 एम0एम0 डायमीटर के लोहे के पाइप पर भवन के प्रत्येक तल पर स्टेयर के पास कम्पलीट होज रील सिस्टम व लैण्डिग बाल्व का अधिष्ठापन कराया जाना वॉछनीय होगा।
2.हस्त चालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम की व्यवस्था कराया जाना वॉछनीय होगा।
3.भवन स्वामी/प्रवन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखें तथा भवन में एग्जिट साइनेज तीर (ऐरो) के निशान पेन्ट से बनाये।
4.भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलमब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाय ।
5.वर्ष में एक बार अग्निशामक यन्त्रों का निर्धारित परीक्षण शुल्क राजकीय कोष में जमा कराकर अग्निशमन उपकरणों के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
6.भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण फायर फाइटिंग सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व प्रवन्धक का होगा ।
7.सम्पूर्ण भवन एग्जिट साइनेज व पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था की जाये।
8.भवन सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र अवर अभियन्ता लोक निर्माण विभाग से प्राप्त करना वॉछनीय होगा।
9.किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत शैक्षिक भवन में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने व निर्देशों/वॉछनीय अग्निशमन व्यवस्थाओं को अविलम्ब पूर्ण किये जाने की शर्त पर **सेंट जेवियर्स स्कूल, खम्बापुरवा, बिसवॉ जनपद–सीतापुर** को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है।

18/8/18

(एन0पी0सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
सीतापुर।

एन0पी0 सिंह
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
सीतापुर

Scanned with CamScanner